

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/मा-ब/शिक्षक सम्मान 2018/2018 दिनांक:- 18.08.18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा / प्रारंभिक शिक्षा

विषय- जिले में कार्यरत सभी शिक्षकों एवं कार्मिकों के परिचय पत्र की सुनिश्चितता बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय दायित्वों के निर्वहन के समय विभाग में पदीय पहचान को व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। इस हेतु प्रत्येक कार्मिक के पास उसका विभागीय परिचय पत्र (Identity Card) होना आवश्यक है। इस परिचय पत्र की सहायता किसी बैठक, सेमिनार, आदि में प्रवेश अथवा विभिन्न परिस्थितियों में अपनी पहचान व्यक्त में आसानी रहती है। अतः सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिले में कार्यरत सभी शिक्षकों/कार्मिकों के पहचान पत्र बनाना सुनिश्चित करावें।

इस वर्ष 5 सितम्बर 2018 को शिक्षक सम्मान 2018 का आयोजन वृहद स्तर पर होना प्रस्तावित है, जिसमें शिक्षा विभाग में नवनियुक्त शिक्षकों को शिक्षक सम्मान की परम्परा एवं महत्ता का साक्षी बनाने के लिये उनकी भागीदारी भी प्रस्तावित है। अतः जिले के ऐसे शिक्षक, जिनकी नियुक्ति दिसम्बर 2013 के बाद हुई है, उन्हें उक्त समारोह में भाग लेना है। इनके परिचय पत्र आगामी 7 दिवस में बनाना सुनिश्चित किया जावे। इस सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की जानी है:-

- 1 आपके जिले में दिसम्बर 2013 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों की सूची आपको ई-मेल द्वारा भेजी गई है, जिनका परिचय पत्र आगामी 7 दिवस में आपको बनाना सुनिश्चित करना है। शेष कार्मिकों का परिचय पत्र फ़ैज मैनर में तैयार किये जावें।
- 2 नृतीय श्रेणी शिक्षकों के परिचय पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) द्वारा तैयार किये जाएंगे। शेष पदों यथा वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता आदि के परिचय पत्र तैयार करने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) का होगा।
- 3 परिचय पत्र में अंकित जानकारी, विशेषतः जन्मतिथि, कार्मिक आई.डी, कार्मिक का नाम आदि सेवा रिकार्ड के अनुसार सही होनी चाहिये। इस हेतु अंकित होने वाले तथ्यों का मिलान अवश्य किया जावे।
- 4 परिचय पत्र जारी करने का रिकार्ड संधारण किया जावे। सेवानिवृत्ति, निधन या सेवा परित्याग पर परिचय पत्र वापस लेना है। चोरी या नष्ट होने पर पुष्टि उपरांत ही दूसरा परिचय पत्र जारी किया जा सकेगा।
- 5 परिचय पत्र का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार परिचय पत्र के दोनों पृष्ठों पर उल्लेखित जानकारी अंकित की जावे। साथ ही रिबन डाल कर इसे गले में पहनने योग्य बनाना है।

इसे सवोच्च प्राथमिकता देते हुए, जिन शिक्षकों को प्रस्तावित शिक्षक सम्मान वृहद समारोह में उपस्थित होना है, के परिचय पत्र बनाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

संलग्न- परिचय पत्र का प्रारूप

www.rajteachers.com



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1 निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा परिषद राजस्थान, जयपुर

2 निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, जयपुर

3 उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रभावी प्रबोधन कर निर्धारित समय सीमा में पालना सुनिश्चित करावें।




निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

उक्त पहचान पत्र सभी कार्मिकों के जारी किये जाने हैं। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिये बी.ई.ई.ओ./जिला शिक्षा अधिकारी अन्य जिले में कार्यरत कार्मिकों के लिये जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) जारी करेंगे। प्राथमिकता से आगामी सात दिवस में ये कार्ड उन शिक्षकों की नियुक्ति दिसम्बर 2013 के बाद हुई है का आवश्यक रूप से बनाकर उन्हें देंगे, जिससे वे शिक्षक सम्मान 2018 के राज्य स्तरीय वृद्ध स्तर पर मनाए जाने वाले प्रस्तावित समारोह में इस पहचान पत्र को अपने गले में खाल कर भाग लेंगे। प्रारूप मुख्यभाग एवं पृष्ठ भाग (आगे एवं पीछे) का निम्नानुसार रहेगा। उक्त कार्ड रिबन सहित गले में पहनने वाला होना चाहिये। इसे सचोच्च प्राथमिकता दी जावे।



राजस्थान सरकार		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> प्रमाणित नवीनतम छाया चित्र </div>
 पहचान पत्र / Identity Card		
कार्मिक का नाम / Name of Employee- जन्मतिथि / DOB- नियुक्ति तिथि / DOA- पद/ Post— कार्मिक पहचान संख्या / Employee ID No.- पदस्थापन स्थान / Posting Place—		
Signature of Employee कार्मिक के हस्ताक्षर		Signature of Issuing Officer जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

पिता/पति का नाम / Permanent Address	:—
पता वं दूरभाष / Address & Tel. No.	:—
पहचान चिन्ह / Distinguish Mark	:—
आपातकालीन दूरभाष / Emergency Tel. No.	:—
मांगने पर कार्मिक यह पहचान पत्र तुरन्त दिखाए। स्थानान्तरण/सेवानिवृति इसे जमा करावें। खो जाने पर सूचना तुरन्त नियन्त्रण अधिकारी एवं पुलिस को दें।	

www.rajteachers.com